कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

सप्तम प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 25.04.2018 को प्रातः 11:30 बजे, सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में प्रबंध मंडल की सप्तम बैठक डॉ जी॰ एल॰ केशवा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

क्र. स.	सदस्य नाम	
1.	डॉ. जी. एल. केशवा, कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	श्री हीरा लाल नागर, माननीय विधायक, सांगोद	सदस्य
3.	डॉ॰ रीता गुलाटी, प्राचार्य, राजकीय जानकी देवी कन्या महाविद्यालय, कोटा (अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
4.	डॉ॰ एस॰ एन॰ शर्मा, वित्त सलाहकार, सी॰ए॰डी॰, कोटा। (अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
5.	डॉ. राम गोप मीणा, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन कोटा। (प्रमुख शासन सचिव पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
6.	डॉ॰ नारायण लाल गुप्ता, शिक्षाविद्, राज्य सरकार द्वारा नामित।	सदस्य
7.	डॉ आई॰ बी॰ मोर्या, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
8.	डॉ के. एन. ओझा, निदेशक मानव संसाधन विकास, कृ॰वि॰, कोटा।	सदस्य
9.	डॉ एस. के. जैन, प्रोफेसर (पी॰एच॰टी॰), उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
10.	डॉ॰ विधि शर्मा, वित्त नियत्रंक	विशेष आमंत्रित
11.	श्री सियाराम मीणा, कुलसचिव	पदेन सचिव

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर या उनके प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य डॉ॰ के॰ के॰ सिंह, सहायक महानिदेशक एवं राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य प्रो॰ मदन सिंह राठौड़ उपस्थित नहीं हो सकें।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

बोम–07/2018/01: **षष्टम प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 20.12.2017 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।**

प्रबन्ध मण्डल की षष्टम बैठक दिनांक 20.12.2017 को आयोजित की गई। बैठक का कार्यवाही विवरण (**पृष्ठ संख्या 01 से 06**) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

बोम–07/2018/02: **षष्टम प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 20.12.2017 के कार्यवाही विवरण पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट।**

प्रबन्ध मण्डल की षष्टम बैठक दिनांक 20.12.2017 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट (**पृष्ठ संख्या 07 से 32**) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णयः **कार्यवाही रिपोर्ट का माननीय सदस्यो ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

बोम–07/2018/03: **कृषि महाविद्यालय की स्थापना एवं स्नात्तक, स्नातकोत्तर व विद्यावाचस्पति पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने बाबत।**

मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2018–19 के अनुसरण में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में एक संगठक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जानी है। प्रबन्ध मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 23.09.2016 में लिये गये निणर्यानुसार सभी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, के लिये अनुमोदित है। कृषि महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही 60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (45 सामान्य फीस एवं 15 भुगतान सीट) के अनुसार जुलाई,

2018 में प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी तथा शस्य विज्ञान विषय में प्रर्याप्त स्टाफ (कार्मिक) उपलब्ध होने से स्नात्तकोत्तर (5 सीट) व विद्यावाचस्पति (2 सीट) पाठ्यक्रम एंव अन्य विभाग जिनमें प्रर्याप्त स्टॉफ है जैसे मृदा विज्ञान, पौध व्यादि आदि में भी स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम प्रत्येक में 4 सीट के साथ प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। म॰प्र॰कृ॰ एवं प्रौ॰ विश्वविद्यालय, उदयपुर स्नात्तक, स्नात्तकोत्तर व विद्याचस्पति में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन कर रहा है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में परीक्षा संयोजक को विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु सूचित करना आवश्यक है। उपरोक्त कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले पाठ्यक्रम एवं आवश्यक नियम, विद्या परिषद से स्वीकृत करा लिये जावेगें (**पृष्ठ संख्या 33**)।

प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही विद्या परिषद की बैठक की कार्यवाही विवरण आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**

कार्यवाहीः **कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं निदेशक शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–07/2018/04: **वानिकी संकाय में स्नातकोत्तर में विभागानुसार पाठ्यक्रम चलाने एवं स्नातक में सीटों की संख्या बढाने बाबत।**

राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2017–18 में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में वानिकी एवं वाईल्ड लाईफ में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 7 शैक्षणिक एवं 19 अशैक्षणिक पद स्वीकृत कर दिये गये है। वानिकी संकाय में नये पदों की स्वीकृति पश्चात प्राध्यापकों की कुल संख्या 13 (सहायक प्राध्यापक–09 एवं सह–प्राध्यापक–04) हो गई है, जो वानिकी संकाय में विभागावार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिये पर्याप्त है। वन्यजीव विज्ञान (Wildlife Science) के पाठ्यक्रम को पूर्व में ही 05 सीटों के साथ प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन कर रखा है। पर्याप्त स्टाफ होने की वजह से सत्र 2018–19 से निम्न 03 विभागों, प्रत्येंक में

05 सीटों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना प्रस्तावित हैः

1. वन संवर्धन एवं कृषि वानिकी (Silviculture and Agroforestry)
2. जैव वानिकी एवं वृक्ष सुधार (Forest Biology and Tree Improvement)
3. वनोत्पाद एवं उपयोग (Forest Product and Utilization)

साथ ही पुष्प एवं भू–दृश्य विज्ञान में स्टाफ का अन्य जगह पदोन्नत / स्थानान्तरण हो जाने के कारण सीटों की संख्या 05 से घटाकर 03 किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में स्नातक (वानिकी) में कुल 30 सीटें (सामान्य 25 एवं वित्त पोषित 5) स्वीकृत है जिन्हे सत्र 2018–19 से बढाकर 60 सीट (सामान्य 45 एवं वित्त पोषित 15) अर्थात एक अलग से बैंच प्रारम्भ करना प्रस्तावित है **(पृष्ठ संख्या 34)**

उपयुक्त कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम अकादमिक परिषद से स्वीकृत करा लिये जायेंगें, लेकिन इसकी सूचना विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये समन्वयक JET/Pre-PG महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को देना आवश्यक है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही आगामी विद्या परिषद की बैठक की कार्यवाही विवरण को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**

कार्यवाहीः **अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ एवं परीक्षा नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–07 / 2018 / 05: कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र अकलेरा के जीर्ण–शीर्ण आवासों को गिराने बाबत।

विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र, अकलेरा पर वर्ष 1976 के निर्मित छः आवास अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण व गिरने की अवस्था में है। उक्त आवास का क्षेत्रफल 1 x 1200 वर्गफीट + 5 x 936 वर्गफीट, कुल 5880 वर्गफीट है। प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र, अकलेरा द्वारा इन आवासों को असुरक्षित अनुपयोगी एवं जीर्ण शीर्ण बताने के बाद निदेशक (अनुसंधान) के प्रस्ताव

पर इन आवासों को ध्वस्त (गिराने) करने का निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पर निम्न सदस्यों की एक कमेटी बनाई गईः

1. भू–सम्पदा अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
4. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप–केन्द्र, अकलेरा।

उक्त कमेटी ने उपरोक्त आवासों का मौका मुआयना कर तोड़ने की अनुशंषा माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत की **(पृष्ठ संख्या 35 व 36)।** तत्पश्चात माननीय कुलपति महोदय ने जीर्ण–शीर्ण आवासों को तोड़ने बाबत अन्तिम निर्णय प्रबन्धन मण्डल को प्रस्तावित करने की अनुशंषा की है।

अतः उक्त प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाहीः **सम्पदा अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–07 / 2018 / 06 **माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार की प्री–लिटिगेशन समिति के निर्णयानुसार सहायक प्राध्यापकों को केरिअर एडवांस स्कीम के अन्तर्गत देय परिलाभ पात्रता तिथि (due date) से देने बाबत।**

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की रीट पीटीशन क्रमांक 454 / 2017 दिनांक 04.09.2017 **(पृष्ठ संख्या 37 से 41)** एवं संयुक्त सचिव कृषि के आदेश क्रमांक पी॰7(37)कृषि–3 / 2014 / जयपुर दिनांक 20.02.2018 **(पृष्ठ संख्या 42 से 43)** द्वारा भेजे गये प्री–लिटिगेशन कमिटी के निर्णय के अनुसरण में कुलसचिव, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ॰ ( ) / एम॰पी॰यू॰ए॰टी॰ / स्था॰ / समूह–1 / 2018 / 1298–1306 दिनांक 25–27. 02.2018 **(पृष्ठ संख्या 44 से 45)** जारी किया गया, आदेश में इस विश्वविद्यालय के 25 सहायक प्राध्यापकों को सम्मिलित किया था। जिसमें डॉ॰ आर॰के॰ बागड़ी (जो राज्य सरकार के आदेश से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में स्थानान्तरण हो गये है) **(पृष्ठ संख्या 52 से 53)** का नाम था, को विश्वविद्यालय

द्वारा जारी आदेश क्रमांक 13267–82 दिनांक 14.03.2018 (**पृष्ठ संख्या 46 से 47**) में सम्मलित करते हुये इन 25 सहायक प्राध्यापक को केरिअर एडवांस स्कीम के अन्तर्गत देय परिलाभ पात्रता तिथि (due date) से देने हेतु जारी किया गया है। लेकिन इसे प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन उपरान्त ही लागू किया जावेगा।

साथ ही निम्न सात समानान्तर प्रकरणों (जिन अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर नही किया था (**पृष्ठ संख्या 48 से 51**) को भी सम्मलित कर परिलाभ पात्रता तिथि से देने हेतु प्रस्ताव सदस्यो के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1. डॉ॰ प्रहलाद वी॰ सी॰, सहायक प्राध्यापक (वानिकी), उ॰वा॰महा॰, झाला॰।
2. डॉ॰ मनोज कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक (प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन), उ॰वा॰महा॰, झाला॰।
3. डॉ॰ सी॰के॰ आर्य, सहायक प्राध्यापक (प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन), उ॰वा॰महा॰, झाला॰।
4. डॉ॰ भीम सिंह, सहायक प्राध्यापक (आधारभूत विज्ञान), उ॰वा॰महा॰, झाला॰।
5. डॉ॰ बच्चू सिंह, सहायक प्राध्यापक (पशुपालन), कृ॰वि॰के॰, हिण्डौन।
6. डॉ॰ एन॰आर॰ कोली, सहायक प्राध्यापक (पौध प्रजनन एवं वाशिंकी), कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा।
7. डॉ॰ राजेश कुमार शिवरान, सहायक प्राध्यापक (शस्य विज्ञान), कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा।

निर्णयः **प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। लेकिन उपरोक्त सात समानान्तर प्रकरणों का कुलसचिव की अध्यक्षता में गठित वित्त नियंत्रक व निदेशक मानव संसाधन की समिति से परीक्षण करवाकर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाने का निर्णय किया गया।**

कार्यवाहीः **कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–07/2018/07 **सेवानिवृत कर्मचारी श्री टी॰सी॰ जैन, वरिष्ठ लिपिक, श्री एरिक्सन जस्टिन, वरिष्ठ लिपिक, श्री आर॰पी॰ माथुर, ओ॰ए॰, श्री ओ॰पी॰जैन, वरिष्ठ लिपिक, श्री बी॰एल॰चीता, वरिष्ठ लिपिक की सेवा अवधि में विस्तार करने बाबत।**

- सेवानिवृत कार्मिक श्री टी॰सी॰ जैन, वरिष्ठ लिपिक (जन्म तिथि 01.07.1955) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 9645–49 दिनांक 29.11.2017 के तहत दिनांक 03.12.2017 से 02.03.2018 तक रिक्त पद क्लर्क ग्रेड–प्रथम के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय में सेवानिवृति के उपरान्त पुर्नः नियुक्ति पर कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा पर कार्य करते हुये दिनांक 02.03.2018 को 02 वर्ष पूर्ण हो गये है। **(पृष्ठ संख्या 54)**।
- सेवानिवृत कार्मिक श्री एरिक्सन जस्टिन, वरिष्ठ लिपिक (जन्म तिथि 03.09. 1955) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8779–85 दिनांक 01.11.2017 के तहत रिक्त पद क्लर्क ग्रेड–प्रथम के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय में सेवानिवृति के उपरान्त पुर्नः नियुक्ति पर कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा पर कार्य करते हुये दिनांक 17.05..2018 को 02 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है **(पृष्ठ संख्या 55)**।
- सेवानिवृत कार्मिक श्री आर॰पी॰ माथुर, कार्यालय सहायक (जन्म तिथि 04.01. 1954) को प्रबन्ध मण्डल की चतुर्थ बैठक दिनांक 03.04.2017 के एजेण्डा आईटम बोम–04/2017/11 में लिये गये निर्णयानुसार एवं विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 10621–24 दिनांक 27.12.2017 के तहत दिनांक 05.07.2018 को 04 वर्ष पूर्ण हो जायेगें। श्री माथुर की दिनांक 03.01.2019 को आयु 65 वर्ष हो जायेगी **(पृष्ठ संख्या 56)**।
- सेवानिृवत कार्मिक श्री ओ॰पी॰ जैन, वरिष्ठ लिपिक (जन्म तिथि 01.07.1956) एवं सेवानिृवत कार्मिक श्री बी॰ एल॰ चीता, वरिष्ठ लिपिक (जन्म तिथि 01.01.1956) को विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 10621–24 दिनांक 27.12.2017 के तहत **(पृष्ठ संख्या 56)** लेखाशाखा में अनुबन्ध पर क्लर्क ग्रेड–द्वितीय पद के विरूद्ध विश्वविद्यालय में सेवानिवृति के उपरान्त पुर्नः नियुक्ति पर कार्य करते हुये श्री जैन को दिनांक 05.07.2018 को एवं श्री चीता को 20.06.2018 को 02 वर्ष पूर्ण हो जायेगे।

द्वितीय प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय बोम–02/2016/09 के अनुसार 02 वर्ष के उपरान्त संविदा अवधि में अभिवृद्धि प्रबन्ध मण्डल की पूर्वानुमति से की जा सकेगी। विश्वविद्यालय में अभी नियमिति कार्मिको की भर्ती में समय लगने की संभावना है।

अतः कार्य की आवश्यता एवं महत्व को देखते हुये श्री टी॰सी॰ जैन, वरिष्ठ लिपिक को दिनांक 03.03.2018 से; श्री एरिक्सन जस्टिन, वरिष्ठ लिपिक को दिनांक 18.05.2018 से; श्री ओ॰पी॰जैन, वरिष्ठ लिपिक को दिनांक 06.07.2018 से; श्री बी॰एल॰चीता, वरिष्ठ लिपिक को दिनांक 06.07.2018 से **(समस्त को एक वर्ष)** एवं श्री आर॰पी॰ माथुर, ओ॰ए॰ को दिनांक 06.07.2018 से 03.01.2019 (65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण) तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 11.07.2017 (**पृष्ठ संख्या 57 से 59**) एवं शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प॰3(50)कृषि–3/2015 जयपुर दिनांक 12.10.2015 (**पृष्ठ संख्या 60**) के अनुसरण में संविदा पर पुर्नः नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाहीः **कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–07/2018/08 **नवसृजित कृषि महाविद्यालय, कोटा के लिये सृजित पदों को भरने व पूर्व में स्वीकृति क्लर्क ग्रेड–द्वितीय व आशुलिपिक के पदों को भरने बाबत।**

राजस्थान सरकार, कृषि (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक प॰4(26)कृषि–3/2018 जयपुर दिनांक 10.04.2018 (**पृष्ठ संख्या 61 से 62**) के द्वारा नवसृजित कृषि महाविद्यालय, कोटा के लिये कुल 28 पद (13 शैक्षणिक एवं 15 अशैक्षणिक) सृजित किये गये है। शैक्षणिक पदों को आवश्यकतानुसार विषयवार आवंटन कर, को भरने की नियमानुसार प्रक्रिया चालू करना प्रस्तावित है (**पृष्ठ संख्या 63**)। साथ ही अशैक्षणिक पदों को भरने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त इस विश्वविद्यालय के 28 पद (क्लर्क ग्रेड–द्वितीय 17 पद एवं आशुलिपिक के 11 पद) राजस्थान अधीनस्थ एवं

मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा भरने के लिये प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन उपरान्त पत्र क्रमांक 3713–16 दिनांक 27.06.2017 एवं 7242–46 दिनांक 16.09.2017 **(पृष्ठ संख्या 64 एवं 65)** द्वारा निवेदन किया था लेकिन अब अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने पदों को भरने में असमर्थना प्रकट की है। अतः इन पदों को नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा भरने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाहीः **कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–07/2018/आर–01 **विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशो (रिर्पोटिंग आइटम) का अवलोकन।**

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जारी किये गये अर्द्ध–शासकीय एवं आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है,

1. एयूके/2018/वीसी/12239 दिनांक 14.02.2018 **(पृष्ठ संख्या 66)**
2. एयूके/2018/वीसी/12386 दिनांक 17.02.2018 **(पृष्ठ संख्या 67)**
3. एयूके/स्था॰/2018/12302–06 दिनांक 14/15.02.18 **(पृष्ठ संख्या 68)**
4. एयूके/स्था॰/2018/आरई/12454–58 दिनांक 19.02.2018 **(पृष्ठ संख्या 69)**
5. एयूके/स्था॰/2018/आरई/12522–26 दिनांक 22.02.2018 **(पृष्ठ संख्या 70)**
6. एयूके/स्था॰/2018/आरई/12661–68 दिनांक 22.02.2018 **(पृष्ठ संख्या 71)**

उपरोक्त आदेश सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः **जारी किये गये आदेशों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

बोम–07/ 2018 अन्य महत्वपूर्ण कार्यसूची अध्यक्ष की अनुमति से।

विशिष्ट–01: कर्मचारी कल्याण कोष के कर्मचारियों का ग्रुप इन्श्योरेंस कराने हेतु प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ (बी)/बजट/ ग्रेड–II/ कृविविको/ 2017 /3101–19 दिनांक 13.06.2017 द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष नियम 2017 बनाये गये है, जिसके बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सेवाकाल में दुर्घटना व अन्य कारणों से मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अपंगता एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में राशि के भुगतान के सम्बन्ध में लिखा गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में उन कर्मचारियों को कोई बीमा नहीं होने से लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः कर्मचारी कल्याण कोष के सदस्यों का ग्रुप इन्श्योरेंस, विभिन्न इन्श्योरेंस कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों में अधिकत्तम उपयुक्तता के आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है। ताकि बिन्दु संख्या 5 के अनुसार राशि का भुगतान सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा किया जा सकें।

ग्रुप इन्श्योरेंस कराने हेतु प्रस्ताव प्रबन्धक मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

कार्यवाहीः **वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

विशिष्ट–02: **राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन चरणों में विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु चयन समितियों की बैठकों की सिफारिशों पर विचार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। साथ ही चार विषयों में सह–आचार्य को आचार्य CAS के तहत पदोन्नति हेतु भी चयन समितियों की सिफारिशें अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।**

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पदों हेतु चयन समिति की बैठकों की सिफारिशों पर विचार कर निम्नानुसार अनुमोदन किया।

I. सीधी भर्ती

S. No.	Subject and Post	Date of Interview	Name of recommended and approved candidates	Order of merit	Category
	First phase (February26 ,27 & 28, 2018)				
1.	**Assistant Professor :** Forest Product & Utilization	26.02.2018	Kanika Chouhan	I	URF
			Bhuvnesh Nagar	II	UR
			Vinita Bisht	III	URF
2.	**Assistant Professor :** Silviculture & Agroforestry	26.02.2018	Navale Manasi Rajendra	I	URF
3.	**Assistant Professor :** Forest Biology & Tree Improvement	27.02.2018	Neetha P./ Sreenivasan P.	I	URF
4.	**Assistant Professor :** Wild Life Sciences	27.02.2018	Dr. Anchal Sharma	I	UR
5.	**Associate Professor :** Forest Product & Utilization	27.02.2018	Dr. Amol Vasisth	I	UR
6.	**Associate Professor :** Forest Biology & Tree Improvement	27.02.2018	Dr. Permeshwar Singh Chouhan	I	UR
7.	**Associate Professor :** Silviculture & Agroforestry	27.02.2018	Shashi Bhushan Sharan Pandey	I	UR
8.	**Assistant Professor :** Agribusiness Management	28.02.2018	Priyanka Solanki	I	URF
9.	**Chief Scientist** : Water Management	28.02.2018	NFS	-	-
	Second phase (March2 0, 21, 22, 23 & 24, 2018)				
1.	**Assistant Professor :** Fruit Science	20.03.2018	Sh. Nirmal Kumar Meena	I	UR
2.	**Subject Matter Specialist :** Horticulture	20.03.2018	Sanjay Kumar	I	UR
			Arvind Nagar	II	UR
			Dr. Suresh Bairwa (PH)	III	UR (SAP)
3.	**Assistant Professor :** Plant Pathology	21.03.2018	Chirag Gautam	I	UR
			Dr. Dhuni Lal Yadav	II	UR
			Sh. Hanuman Singh	III	UR
			Ladu Ram	I	OBC
4.	**Subject Matter Specialist :** Plant Pathology	21.03.2018	Sh. Roop Singh	I	UR
5.	**Assistant Professor :** Soil Science	22.03.2018	Khambalkar Priyadarshani Arun	I	URF
			Vinod Kumar Yadav	II	UR
			Rajendra Kumar Yadav	I	OBC
6.	**Subject Matter Specialist :** Soil Science	22.03.2018	Dr. Sewa Ram Rundla	I	UR

7.	**Assistant Professor :** Agril. Economics	22.03.2018	Lokesh Kumar Meena	I	UR
8.	**Assistant Professor :** Agronomy	23.03.2018	Dr. (Smt.) Chaman Kumari Jadon	I	URF
			Dr. Rajesh Kumar/ Bachchu Singh	II	UR
			Sh. Pradeep Kumar	III	UR
			Dr. Arjun Lal Bijarnia	IV	UR
			Dr. Shankar Lal Yadav	I	OBC
9.	**Subject Matter Specialist :** Agronomy	24.03.2018	Sunil Kumar	I	UR
			Napur Sharma	II	URF
			Dr. Shankar Lal Khaswan	III	UR
	Third phase (April 17, 20, 21, 22, 23 & 24, 2018)				
1.	**Subject Matter Specialist :** Home Science	17.04.2018	Smt. Sonu Mehta	I	URF
			Smt. Gunjan Sanadhya	II	URF
			Gitika Sharma	III	URF
			Dr. Chamandeep Kaur	IV	URF
			Kamla Mahajani	I	OBC F
2.	**Assistant Professor :** Horticulture	20.04.2018	Dr. Rakesh Kumar Yadav	I	UR
3.	**Professor :** Horticulture	20.04.2018	Dr. Virendra Singh	I	UR
4.	**Assistant Professor :** Entomology	20.04.2018	Dr. Suresh Kumar Jat	I	UR
5.	**Assistant Professor :** Extension Education	21.04.2018	Dr. Kirti	I	URF
6.	**Subject Matter Specialist :** Extension Education	21.04.2018	Dr. Mohmmad Yunus	I	UR
7.	**Senior Scientist & Head :**	21.04.2018	NFS	-	-
8.	**Assistant Professor :** Plant Breeding & Genetics	22.04.2018	Sandhya	I	URF
			Dr. Khajan Singh	II	UR
			Dr. Manoj Kumar	III	UR
			Dr. Bhuri Singh	IV	UR
9.	**Associate Professor :** Plant Breeding & Genetics	22.04.2018	Dr. Subhash Chandra Sharma	I	UR
			Dr. Nanag Ram Koli	II	UR
10.	**Assistant Professor :** Biochemistry	22.04.2018	Yamini Tak	I	URF
11.	**Assistant Professor :** Plant Physiology	23.04.2018	Anil Kumar Gupta	I	UR
12.	**Assistant Professor :** Microbiology	23.04.2018	Dr. Hemraj Chhipa	I	UR

13.	**Associate Professor :** Agronomy	23.04.2018	Dr. Baldev Ram	I	UR
			Dr. Jagdish Prasad Tetarwal	II	UR
14.	**Assistant Professor :** Seed Technology	24.04.2018	Rajesh Kumar Sharma	I	UR

II. **सह आचार्य से आचार्य के CAS के तहत् पदोन्नति:**

S. No.	Name of recommended and approved candidates	Discipline	Date of interview	Date of promotion as Professor
1.	Dr. N. L. Meena, KVK, Bundi	Entomology	20.04.2018	01.01.2015
2.	Dr. Harish Verma, KVK, Jhalawar	Entomology	20.04.2018	01.07.2013
3.	Dr. N. N. Tripathi, KVK, Kota	Entomology	20.04.2018	01.01.2012
4.	Dr. M. C. Goyal, KVK, Kota	Extension Education	21.04.2018	01.12.2012
5.	Dr. Chandra Prakash, ARS, Kota	Agronomy	23.04.2018	01.04.2012
6.	Dr. Mahendra Singh, KVK, Kota	LPM	24.04.2018	01.04.2017
7.	Dr. M. K. Garg, KVK, Kota	LPM	24.04.2018	01.01.2014
8.	Dr. Bacchu Singh, KVK, Hindaun	LPM	24.04.2018	01.01.2014

प्रबंध मण्डल द्वारा आरक्षित सूची में से वरीयतानुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कुलपति को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति हेतु कुलपति को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया।

निर्णयः **उपरोक्त प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाहीः **कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा**

कुलसचिव
25/4/2018

कुलपति
25.4.18